

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे के निस्तान्तरण हेतु
प्रस्ताव/योजना

43A

योजना का नाम- मसराना से निमोई ग्रेट मार्ग का निर्माण,
(लम्बाई 8.00 किमी०)

58A
60

1. पहाड़ी क्षेत्र में 5.95 मीटर चौड़ा मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु पहाड़ कटान से उत्पादित मलवे का (पत्थर एवं गिट्टी) की सम्भावित मात्रा प्रति किमी०.....
 - i- कटिंग एवं फिलिंग द्वारा मार्ग निर्माण..... $1/2 \times 300.00 \times 4.00 \times 3.00 = 1800.00$ घन मीटर
 - ii- कटिंग द्वारा मार्ग निर्माण..... $1/2 \times 700.00 \times 6.00 \times 3.00 = 6300.00$ घन मीटर

योग = 8100.00 घन मीटर
- 2- मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे (पत्थर एवं गिट्टी) को मार्ग निर्माण में उपयोग-
 - i- दिवार निर्माण में प्रयोग मात्रा- 300 मीटर लम्बाई $\times 1.75 + 0.50/2 \times 5.00$ औसतन ऊंचाई = 1687.50 घनमीटर
 - ii- पहाड़ की सुरक्षा हेतु ग्रेस्ट दिवार में प्रयोग मात्रा- 300.00 लम्बाई $\times 1.00 + 0.60/2 \times 2$ मी० ऊंचाई = 480.00 घनमीटर
 - iii- दिवार के पीछे फिलिंग में प्रयोग होने वाली मात्रा- $1/2 \times 300.00 \times 2.00 \times 5.00 = 1500.00$ घनमीटर
 - iv- पानी निकारणी हेतु स्कपर एवं पुलिया इत्यादि निर्माण में प्रयोग आने वाली मात्रा-

स्कपर निर्माण	8 नं० $\times 100.00$	= 800.00 घनमीटर
पुलिया निर्माण	2 नं० $\times 400.00$	= 800.00 घनमीटर
		= 160.00 घनमीटर
 - v- पक्की नाली निर्माण में प्रयोग होने वाली मात्रा- $1000.00 \times 0.80 \times 0.20$
 - vi- गदरों पर मार्ग निर्माण हेतु फिलिंग में प्रयोग होने वाली मात्रा- $8 \text{ नं०} \times 20.00 \times 4.00 \times 3.00 = 1920.00$ घनमीटर
 - vii- मार्ग में ड्रेपाइट निर्माण में प्रयोग होने वाली मात्रा- $300.00 \text{ नं०} \times 2.00 \times 0.45 \times 0.60 = 162.00$ घनमीटर

योग = 7509.50 घनमीटर

इस प्रकार से उत्पादित मलवे का लगभग 93 प्रतिशत मात्रा का मार्ग के निर्माण में उपयोग किया जाएगा तथा अवशेष 7 प्रतिशत मात्रा का प्रयोग मार्ग के समतलीकरण इत्यादि में प्रयोग किया जायेगा। जिससे कि स्थानीय वनरक्षकों को मार्ग निर्माण के दौरान क्षति नहीं पहुंचेगी एवं नुकसान की सम्भावना भी नहीं होगी।

यह योजना 1.00 किमी० लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु है इसी प्रकार मार्ग की कुल लम्बाई 8.00 किमी० लम्बाई में उत्पादित मलवे का किमी० वार निस्तान्तरण किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि०
धनगढ़ (टि० ग०)


जिलाधिकारी अभिवक्ता
बस्ताई खण्ड ली० नि० विभाग
धनगढ़ (टि० ग०)


प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी